भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3386

जिसका उत्तर सोमवार, 16 दिसंबर, 2024/25 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया

एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) को अन्य देशों की त्वरित भुगतान प्रणाली के साथ जोड़ना

3386. डॉ. मल्लू रविः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अथवा सरकार विदेश से भुगतान को सुगम बनाने के लिए एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) को अन्य देशों की त्वरित भुगतान प्रणाली के साथ जोड़ने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो इन पहलों से भुगतान सुविधा के संदर्भ में व्यक्तियों और वित्तीय क्षेत्र को किस प्रकार लाभ होने की संभावना है;

(ग) क्या यूपीआई को विदेशों की त्वरित भुगतान प्रणाली से जोड़ने से देश की धन प्रेषण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होने की उम्मीद है; और

(घ) यदि हां, तो इसके प्रमुखतः क्या प्रभाव होंगे?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क)से (घ): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) सीमा-पार भुगतानों को सुविधाजनक बनाने के लिए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) को अन्य देशों के त्वरित भुगतान प्रणालियों (एफपीएस) के साथ संबद्ध करने की दिशा में कार्यरत है। इस प्रकार की सुविधा को फरवरी 2023 से सिंगापुर के साथ पहले ही परिचालनरत कर दिया गया है। इससे भारतीय ग्राहकों को सीधे यूपीआई के माध्यम से धनराशि भेजने और प्राप्त करने में मदद मिली है, जिसके परिणाम स्वरूप

सिंगापुर से भारत और भारत से सिंगापुर जैसे सीमा-पार विप्रेषणों की औसत लागत में कमी आई है।

यूपीआई को अन्य देशों के त्वरित भुगतान प्रणालियों से संबद्ध करने से भारत की विप्रेषण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने में सहायता प्राप्त हो सकती है। यह भारत को विप्रेषण भुगतान करने के लिए 24x7 यथासमय, पारदर्शी, सुगम्य, और सस्ते मोबाईल ऐप-आधारित विकल्प प्रदान करता है, इससे विप्रेषण भुगतान करने के पारंपरिक माध्यमों की तुलना में सुविधा बेहतर हुई है।

******